



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2856]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 2856]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3746(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद; संशोधन अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 06 नवम्बर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया गया;

और जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों द्वारा यथा सूचित, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं. का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं; अर्थातः— भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 06 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3325 (अ) और उसके संशोधन में अंतिम प्रविष्टि तथा तत्संबंधी प्रविष्टि में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचित सदस्य का विवरण	चुनाव का तरीका
33.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश	डॉ. एन.एस. सेंगर, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एम् एलबी मेडिकल कॉलेज, झाँसी	कार्यकारी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित

[फा. सं. वी. 11013/1/2013-एम ई पी-I(वोल. II)]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद-टिप्पण : दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ. 138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन), द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2013

S.O. 3746(E).— Whereas on 6th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and as informed by the respective universities/health science universities, the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3325(E) dated the 6th November, 2013 and amendments thereto, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:

S. No.	Name of the University	Details of the Elected Member	Mode of Election
33.	Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh	Dr. N.S. Sengar, Professor of Nephrology, MLB Medical College, Jhansi	Elected unanimously by Executive Council

[F.No. V-11013/1/2003-MEP-I(Vol. II)]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Footnote:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 138, dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).